(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1620–पीबीआर/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–9–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 172/2009–10 निगरानी.

श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व. हरप्रसाद जाट
निवासी ग्राम पैरा
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....आवेदिका

विरूद्ध

1– पलबिन्दर सिंह
2– सतेन्द्र सिंह
3– इन्दर सिंह
पुत्रगण जीवन सिंह जाट
निवासीगण ग्राम शेखपुर
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/8/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय, आंतरी द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 18 दिनांक 25–5–2007 में पारित आदेश दिनांक 31–7–2007 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 61/06–07/अपील दर्ज कर दिनांक 18–10–07 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण

तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि आवेदिका को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर उभय पक्ष को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुए विधिवत कार्यवाही करते हुए गुण–दोष के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 8–2–2008 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–9–2010 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के समवर्ती निष्कर्ष थे, जिनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस कानूनी बिन्दु पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने में वैधानिक भूल की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, क्योंकि नामांतरण आदेश पारित करने में आवेदिका को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, और न ही पक्षकार बनाया गया है, जबकि आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी होकर उसका आधिपत्य एवं कब्जा है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा जिन न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में आदेश पारित किया गया है, उक्त न्याय दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होता है, क्योंकि उक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकरण एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा मात्र विक्रय पत्र को आधार बनाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में भूल की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका ने अनावेदकगण के हित में विकय पत्र दिनांक 5–3–98 को सम्पादित किया था, जिस पर आवेदिका के हस्ताक्षर भी हैं ।

(2) आवेदिका ने स्वयं को स्व. हरप्रसाद की पत्नी बताकर अनावेदकगण क पक्ष में हुए नामान्तरण के विरूद्ध अपील एवं इस न्यायालय के समक्ष तक कार्यवाहियां की है, जबकि आवेदिका स्व. हरप्रसाद की पत्नी नहीं होकर ग्राम पैरा के अजयब सिंह की पत्नी है, जिसका खण्डन आवेदिका ने आज तक नहीं किया गया है ।

(3) आवेदिका ने निगरानी में यह आधार लिया है कि उसके द्वारा अनावेदकगण के हित में प्रश्नाधीन भूमि का विकय नहीं किया है, उसने 50,000/– रूपये कर्ज के एवज में भूमि बंधक रखी थी, जबकि विकय पत्र को देखने से स्पष्ट है कि विकय पत्र 50,000/– रूपये का नही होकर 3,56,500/– रूपये विकय धन का है, जिसमें विकेता ने स्पष्ट लिखा है कि मैने अपनी उपरोक्त भूमि को आवेदकगण केतागण पलविन्दर सिंह, सत्येन्द्र सिंह, इन्दर सिंह के हित में विधिवत 3,56,500/– रूपये के एवज में विकय कर दी है, और विकीत भूमि पर केतागण का कब्जा करा दिया है । विकय पत्र में बंधक करने या रहन रखने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।

(4) अनावेदकगण को पंजीकृत विकय पत्र के द्वारा स्वत्व अर्जित हुए हैं, और पंजीकृत विकय पत्र की वैधता की जांच करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है ।

(5) आवेदिका राजकुमारी एवं विकेता राजकुमारी पत्नी हरप्रसाद दो पृथक–पृथक महिला हैं, अर्थात आवेदिका विकेता राजकुमारी नहीं है, अन्य महिला है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम सरल कमांक 860 पर राजकुमारी पत्नी अजयब सिंह है, इसलिए आवेदिका को सूचना देना कतई आवश्यक नहीं था ।

(6) यदि आवेदिका को विकेता राजकुमारी मान भी लिया जाये तो भी विकेता द्वारा उप पंजीयक के समक्ष विकय पत्र सम्पादित किया गया है, और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार विकय द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध स्वयमेव सूचना है ।

(7) आवेदिका द्वारा भूमि बंधक रखने के सम्बंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय से लेकर इस न्यायालय के समक्ष अर्थात 2007 से लेकर अब तक कोई भी ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो विकय पत्र को बंधक पत्र प्रमाणित करती हो ।

(8) अनावेदकगण का नामान्तरण विकय पत्र के आधार पर हुआ है । रहननामा का तथ्य या तो विकय पत्र मे ही उल्लेखित होना चाहिए या पृथक से कोई दस्तावेज लिखा जाना चाहिए था, और विकय पत्र का खण्डन दस्तावेजी साक्ष्य से ही संभव है, मौखिक साक्ष्य द्वारा विकय पत्र का खण्डन नहीं किया जा सकता है ।

(9) अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष विधि विरूद्ध होने से उसमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1986 आर.एन. 211 (हायकोर्ट), 2015 आर.एन. 480, 1984 आर. एन. 05, 1990 आर.एन. 28, 1989 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट 228 (हायकोर्ट), 2008 आर. एन. 33 (हायकोर्ट) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ आवेदिका की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा 1986 आर.एन. 211 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि स्वत्व सम्बंधी विवाद के निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है, के प्रकाश में तहसील न्यायालय द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर पारित नामान्तरण को स्थिर रखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अनावेदकगण की ओर से इस न्यायालय में भी 2008 आर.एन. 33, 2015 आर.एन. 480, 2004 आर.एन. 150 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें भी इसी आशय का न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पंजीकृत विकय पत्र की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है । अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर